पत्रांक- 3ए-1-मुक०-52/2017-1179/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:- **16/02/2018**

विषय:- LPA No. 724/2016 (C.W.J.C. No. 6122/2014 से उद्भूत) कामेश्वर पाण्डेय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-04/04/2017 को पारित अन्तरिम आदेश में की गयी पृच्छा के आलोक में दिनांक-01/01/1996 से स्वीकृत वेतनमान ₹6500-10500/- को संशोधित कर ₹8000-13500/- स्वीकृत करने के संबंध में

दिनांक-01/01/1996 के प्रभाव से फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-660, दिनांक-08/02/1999 के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग के लेखा पदाधिकारी का वेतनमान ₹6500-10500/- की स्वीकृति प्रदान की गयी। श्री कामेश्वर पाण्डेय, लेखा पदाधिकारी, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा फिटमेंट अपीलीय समिति के समक्ष जल संसाधन विभाग के लेखा पदाधिकारी के अनुरूप वेतनमान ₹8000-13500/- की स्वीकृति का आवेदन दिया गया। फिटमेंट अपीलीय समिति द्वारा लघु जल संसाधन विभाग के इस पद के लिए ₹8000-13500/- की अनुशंसा की गयी। फिटमेंट अपीलीय समीति की अनुशंसा पर स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद की आर्थिक विषयक समिति के समक्ष रखा गया। आर्थिक विषयक समिति द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की गयी:-

"यह पद पूर्व से विभाग में सृजित नहीं था, अतः जल संसाधान विभाग के पद से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, जिसका अपना संवर्गीय ढ़ांचा है। यह पद जल विकास निगम में सृजित था। निगम के विघटन के बाद इस पद के धारक की सेवा लघु सिंचाई विभाग के नलकूप प्रभाग में ली गई। इनके लिए अपुनरीक्षित वेतनमान 2200-4000/- स्वीकृत था। इस कोटि के लिए पुनरीक्षित वेतनमान 6500-10,500/- स्वीकृत हुआ है। तदनुसार स्वीकृति दी जाय" । फलतः लेखा पदाधिकारी के लिए दिनांक-01/01/1996 से ₹6500-10500/- का वेतनमान प्रभावी रहा।

2. फिटमेंट अपीलीय समिति की अनुशंसा के अनुरूप वेतनमान की स्वीकृति हेतु श्री पांडेय द्वारा दायर C.W.J.C. No. 6122/2014 के खारिज होने के बाद दायर LPA No. 724/2016 में दिनांक-04/04/2017 को यह अंतरिम आदेश पारित किया गया कि फिटमेंट अपीलीय समिति की अनुशंसा के अनुरूप स्वीकृति दिये गये समरूप मामलों की तरह वादी के

मामले पर विचार किया जाए, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"*Prima facie* in view of the order passed by the Benches of this Court in C.W.J.C. No. 4522 of 2004 (Dr. (Mrs.) Neena Jha Vs. The State of Bihar and others) decided on 11.05.2007 and approval of the aforesaid judgment by a Division Bench in L.P.A. No. 859 of 2007 and L.P.A. No. 975 of 2007 vide order passed on 20.04.2010 and subsequent dismissal of the S.L.P. (Special Leave to Appeal (Civil) No. 19802 of 2010) filed by the State Government on 06.01.2011, the State Government seems to be bound by the decision of the Fitment Appellate Committee's recommendation and if the same has been considered and implemented in the case of various employees, finding recorded by the learned Writ Court to say that the recommendation of the Fitment Committee has not been accepted by the State Government seems to be incorrect.

Posed with these queries from the Court, learned counsel for the State sought time to seek instructions.

List after three weeks, as *prima facie* this Court is of the opinion that if the factual aspect of the matter as indicated is correct, case of the appellant has to be remanded back to the State for considering his representation and taking a decision as to why recommendation made by the Fitment Appellate Committee in the matter of his pay fixation be not considered and a decision taken."

6. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-04/04/2017 के क्रम में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया, जो निम्नवत् है:-

"On Perusal of the file, I could not find any valid basis or reason which may validate the stand of the State Government not to accept the recommendation of the fitment appellate committee. As such in view of discussions above, I am of the opinion that if the case of Kameshwar Pandey is covered by the recommendation of the fitment appellate committee and if the fitment appellate committee's recommendation has been applied to similarly situated employees, there is no reason not to consider the case of Kameshwar Pandey particularly in the light of the provisions of Bihar state litigation policy, 2011."

7. उक्त आलोक में श्री कामेश्वर पाण्डेय, लेखा पदाधिकारी, लघु जल संसाधन विभाग का मामला नीना झा वगैरह के समरूप होने एवं फिटमेंट अपीलीय समिति की अनुशंसा

बाध्यकारी माने जाने के कारण फिटमेंट अपीलीय समिति द्वारा अनुशंसित वेतनमान ₹8000-13500/- (6500-10500/- के स्थान पर) की संशोधित स्वीकृति विचाराधीन था।

8. **सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है कि** श्री कामेश्वर पाण्डेय, लेखा पदाधिकारी, लघु जल संसाधन विभाग के लिए दिनांक-01/01/1996 से स्वीकृत वेतनमान ₹6500-10500/- को संशोधित कर ₹8000-13500/- स्वीकृत किया जाय। इस संशोधन के उपरान्त पुनः कोई निर्धारण लाभ नहीं दिया जाएगा, अपितु मात्र अन्तर राशि भुगतेय होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-1-मुक०-52/2017 -**1179**/वि० पटना, दिनांक-**16/02/2018**

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-1-मुक०-52/2017 -**1179**/वि० पटना, दिनांक-**16/02/2018**

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-1-मुक०-52/2017 -**1179**/वि० पटना, दिनांक-**16/02/2018**

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग /संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित लेखा पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग /अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा / सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।